



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2009/ज्येष्ठ 14, 1931

No. 327]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2009/JYAISTHA 14, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

आधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सा.का.नि. 385(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये गजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में, नियम 32 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन नहीं हो जाता तब तक आवेदन इस उप-नियम के अधीन कंपनी विधि बोर्ड को किया जा सकेगा।”

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एल.-V]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 229(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

2098 GI/2009

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2009

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009, after sub-rule (2) of rule 32, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the application under this sub-rule may be made to the Company Law Board.”

[F. No. 1/1/2009-Cl.-V]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 229(E), dated the 1st April, 2009.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, ब्रह्मस्पतिवार, जून 4, 2009/ज्येष्ठ 14, 1931

No. 328]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2009/JYAISTA 14, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सा.का.नि. 386(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् :—

- (1) दूसरी अनुसूची में, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक इस उप-पैरा के अधीन अपील कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी”;
- (2) तीसरी अनुसूची में, पैरा 5 के उप-पैरा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक इस उप-पैरा के अधीन अपील कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी”;
- (3) चौथी अनुसूची में, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक इस उप-पैरा के अधीन अपील कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी”;

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एल.-V]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2009

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 78 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following alterations in the Second Schedule, the Third Schedule and the Fourth Schedule to the said Act, namely :—

(1) In the Second Schedule, in sub-paragraph (1) of paragraph 6, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the appeal under this sub-paragraph may be made before the Company Law Board”;

(2) In the Third Schedule, in sub-paragraph (1) of paragraph 5, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the appeal under this sub-paragraph may be made before the Company Law Board”;

(3) In the Fourth Schedule, in sub-paragraph (1) of paragraph 6, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the appeal under this sub-paragraph may be made before the Company Law Board”;

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F No. 1/1/2009-CL-V]

A. K. SRIVASTAVA, Jr. Secy.